न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 26/2023

भवानी शंकर पुत्र देवीलाल जाति ब्राहमण निवासी अनूपशहर तहसील भादरा हाल निवासी चक 3 के.ए.एम. ग्राम पंचायत 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।

- **प्रार्थी**

बनाम

1. देवीलाल पुत्र सुलतानराम जाति ब्राहमण निवासी अनूपशहर तहसील भादरा हाल निवासी चक 3 के.ए.एम. ग्राम पंचायत 21 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
2. लालचन्द पुत्र सुलतानराम जाति ब्राहमण निवासी अनूपशहर तहसील भादरा हाल निवासी चक 4 के.ए.एम. ग्राम पंचायत 30 ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।
4. मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा अनूपशहर तहसील भादरा।

- **अप्रार्थीगण**

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा - **प्रार्थी**

वकील श्री महेश बंसल - **अप्रार्थी सं0 1**

वकील श्री नरेन्द्र शर्मा - **अप्रार्थी सं0 2**

दिनांक : 15.2.24

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा अनूपशहर के खाता सं0 353/338 के खसरा सं0 666, 829, 830, 880 की कुल 42 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि तथा ग्राम अनूपशहर के ही खसरा सं0 353, 875, 876/2, 881/2 की कुल 20 किला 13 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी के दादा सुलतानराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी।

उक्त वादभूमि प्रार्थी के दादा सुलतानराम के नाम दर्ज थी जो सुलतानराम के देहान्त के बाद सुलतानराम के चारों पुत्रों देवीलाल, पृथ्वीराज, औमप्रकाश व लालचंद को विरासतन बहिस्सा बराबर प्रत्येक के 1/4-1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रार्थी के दादा सुलतानाराम को वादभूमि अपने पिता ठाकरसीं से विरासतन प्राप्त हुई थी इस प्रकार उक्त कृषि भूमि में देवीलाल के वारिसान का देवीलाल के 1/4 हिस्सा में जन्म से हक हिस्सा निहित हो गया था। उपरोक्त 1/4 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 के नाम मात्र कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। प्रार्थी का पिता अप्रार्थी सं0 1 देवीलाल ने प्रार्थी व उसके भाई बहनों के हक अधिकारों की परवाह नही की और अपने भाई लालचंद अप्रार्थी सं0 2 के बहकावे में रहा और अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने आपस में सांठ-गांठ करते हुए प्रार्थी व दावा के तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ता 15 को पुस्तेनी कृषि भूमि से महरूम करने के लिए एक नुमाईसी हकत्याग छुपे तौर पर करवाते हुए प्रार्थी व दावा के तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ता 15 को उनके हक हिस्सा से महरूम कर दिया जबकि उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति थी जिसे अप्रार्थी सं0 1 देवीलाल को किसी भी तरीके से मुन्तकिल करने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा करवाई गई दस्तबरदारी दिनांक 25.02.2002 को सब रजिस्ट्रार भादरा के यहा पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 153 पृ0 सं0 78 क्र0सं0 665 पर दर्ज है। इस प्रकार उक्त दोनों खातों की भूमि में देवीलाल का 1/4 हिस्सा जिसका हकत्याग देवीलाल ने लालचन्द के पक्ष मे किया है में प्रार्थी व दावा के तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ता 15 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है यानि प्रार्थी व दावा के तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ता 15 का बहिस्सा बराबर प्रत्येक का 0.0272 है0 बनाता है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थी अप्रार्थी सं0 2 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि उक्त वर्णित वाद भूमि में अप्रार्थी सं0 2 लालचन्द के नाम दर्ज वादभूमि 1.306है0 जिसमे प्रतिवादी सं0 1 देवीलाल का 1/4 हिस्सा यानि 0.3265है0 था में वाद भूमि को किसी तरीके से रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करे व मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

उपखण्ड अधिकारी भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि उक्त वर्णित वादभूमि जो सुलतानाराम के नाम दर्ज थी एवं सुलतानाराम के देहान्त बाद उसके चारों पुत्रों देवीलाल, पृथ्वीराज, ओमप्रकाश व लालचंद प्रत्येक को 1/4 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई परन्तु देवीलाल, पृथ्वीराज व ओमप्रकाश ने उपर वर्णित कृषि भूमि में अपने अपने समस्त हक हिस्सा जरिए दस्तबरदारी त्याग पत्र दिनांक 25.05.2002 को अपने सगे भाई सह खातेदार मिन अप्रार्थी के पक्ष में तहरीर करवाकर उपपंजीयक भादरा के समक्ष निष्पादित करवा दी और दस्तबदारी त्याग पत्र दिनांक 25.05.2002 में देवीलाल, पृथ्वीराज व ओमप्रकाश ने यह भी स्वीकार किया है कि सुलतानाराम के नाम दर्ज उपर वर्णित तमाम भूमि पर पुर्व में कब्जा काश्त अपने सगे भाई सह खातेदार मिन अप्रार्थी लालचन्द का होना स्वीकार किया है। उपर वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता द्वारा अपने सगे भाई मिन अप्रार्थी लालचन्द के पक्ष में अपना हिस्सा परित्याग किया जा चुका है ऐसी सुरत में उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है एवं ना ही कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र के मद सं0 6 गलत बयानी होने के कारण स्वीकार नहीं जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी ने अपने पिता अप्रार्थी देवीलाल के साथ दुरभि संधि करते हुए यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी देवीलाल उसके दोनों भाई पृथ्वीराज व ओमप्रकाश ने अपने पुर्ण होश हवास एवं स्वतन्त्र ईच्छा से दस्तबरदारी निष्पादित करवाई है और सम्पूर्ण भूमि का कब्जा पूर्व से ही अप्रार्थी लालचन्द के पास था। प्रार्थी का वाद भूमि में कभी कोई दखल व कब्जा काश्त नहीं रही है। प्रार्थी उक्त भूमि में किसी भी श्रेणी का खातेदार काश्तकार नहीं है एवं ना ही उसका कोई हक हिस्सा है। अप्रार्थी सं0 1 जरिए वकील हाजिर आया व प्रार्थना पत्र में जबाव प्रस्तुत नहीं करना चाहते व जबाववन्द करने का निवेदन किया।

अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वादभूमि प्रार्थी के दादा सुलतानराम को अपने पिता ठाकरसीं से विरासतन प्राप्त हुई थी जो सुलतानराम के देहान्त के बाद सुलतानराम के चारों पुत्रों देवीलाल, पृथ्वीराज, औमप्रकाश व लालचंद को विरासतन बहिस्सा बराबर प्रत्येक के 1/4–1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। वादभूमि विरासतन प्राप्त होने के कारण उक्त कृषि भूमि में देवीलाल के वारिसान का देवीलाल के 1/4 हिस्सा में जन्म से हक हिस्सा निहित हो गया था। प्रार्थी का पिता अप्रार्थी सं0 1 देवीलाल ने प्रार्थी व उसके भाई बहनों के हक अधिकारों की परवाह नहीं की और अपने भाई लालचंद अप्रार्थी सं0 2 के बहकावे में रहा और अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने आपस में सांठ–गांठ करते हुए प्रार्थी व दावा के तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 ता 15 को पुस्तेनी कृषि भूमि से महरूम करने के लिए एक नुमाईसी हकत्याग छुपे तौर पर करवाते हुए प्रार्थी व दावा के तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 ता 15 को उनके हक हिस्सा से महरूम कर दिया जबकि उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति थी जिसे अप्रार्थी सं0 1 देवीलाल को किसी भी तरीके से मुन्तकिल करने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा करवाई गई दस्तबरदारी दिनांक 25.02.2002 को सब रजिस्ट्रार भादरा के यहां पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 153 पृ0 सं0 78 क्र0स0 665 पर दर्ज है। इस प्रकार उक्त दोनों खातों की भूमि में देवीलाल का 1/4 हिस्सा जिसका हकत्याग देवीलाल ने लालचन्द के पक्ष में किया है में प्रार्थी व दावा के तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 ता 15 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है यानि प्रार्थी व दावा के तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 ता 15 का बहिस्सा बराबर प्रत्येक का 0.0272 है0 बनाता है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने के अधिकारी है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी सं0 2 द्वारा कथन किया कि उक्त वर्णित वादभूमि जो सुलतानाराम के नाम दर्ज थी एवं सुलतानाराम के देहान्त बाद उसके चारों पुत्रों देवीलाल, पृथ्वीराज, ओमप्रकाश व लालचंद प्रत्येक को 1/4 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई परन्तु देवीलाल, पृथ्वीराज व ओमप्रकाश ने उपर वर्णित कृषि भूमि में अपने अपने समस्त हक हिस्सा जरिए दस्तबरदारी त्याग पत्र दिनांक 25.05.2002 को अपने सगे भाई सह खातेदार मिन अप्रार्थी के पक्ष में तहरीर करवाकर उपपंजीयक भादरा के समक्ष निष्पादित करवा दी और दस्तबदारी त्याग पत्र दिनांक 25.05.2002 में देवीलाल, पृथ्वीराज व ओमप्रकाश ने यह भी स्वीकार किया है कि सुलतानाराम के नाम दर्ज उपर वर्णित तमाम भूमि पर पुर्व में कब्जा काश्त अपने सगे भाई सह खातेदार मिन अप्रार्थी लालचन्द का होना स्वीकार किया है। ऐसी सुरत में उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है एवं ना ही कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र के मद सं0 6 गलत बयानी होने के कारण स्वीकार नहीं

Preetam
सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी ने अपने पिता अप्रार्थी देवीलाल के साथ दुरभि संधि करते हुए यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी देवीलाल उसके दोनों भाई पृथ्वीराज व ओमप्रकाश ने अपने पुर्ण होश हवास एवं स्वतन्त्र ईच्छा से दस्तबरदारी निष्पादित करवाई है और सम्पूर्ण भूमि का कब्जा पूर्व से ही अप्रार्थी लालचन्द के पास था। प्रार्थी का वाद भूमि में कभी कोई दखल व कब्जा काश्त नहीं रही है एवं ना ही उसका कोई हक हिस्सा है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र सायल, जवाब प्रार्थना पत्र गैरसायलान, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी वाद भूमि पहले प्रार्थी के पिता की खातेदारी थी परन्तु प्रार्थी के पिता ने अपना हक हिस्सा अपने भाई के नाम दस्तबरदारी करवा दी जिसमें प्रार्थी अपने हक–हिस्सा की घोषणा करवाना चाहता है। चूंकि प्रार्थी के अनुसार वादभूमि दादालाई पैतृक संपति है जिसमें प्रार्थी का भी हक हिस्सा है जिसके संबंध में प्रार्थी का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा अप्रार्थी सं0 2 इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही अप्रार्थी ने यह प्रस्तुत नहीं किया वादभूमि दादालाई व पैतृक सम्पति नहीं है। यदि अप्रार्थी सं0 2 द्वारा यदि वादभूमि को बेचान या रहन कर देता है तो प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी सं0 2 के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति**:– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी/वादी का उक्त वादभूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी सं0 2 द्वारा रिकार्ड में परिवर्तन किए जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः न्यायालय अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपयुक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी सं0 2 लालचन्द को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वह अपने नाम दर्ज वादभूमि के 1/4 हिस्से को किसी भी तरीके से रहन, बैय व मुन्तकिल न करें तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 15.2.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Preetam

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner